

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 22/09/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation of Surya Mandir, Kachi Talab (Dewatering, Cleaning, Fountain, Seeting Area, Kota Stone and Paver Block in Kachi Talab) in Ward No.-16 के निर्माण हेतु राशि रु० 149.61800 (एक करोड़ उनचास हजार इकसठ हजार आठ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत तत्काल रु० 60.00 लाख (साठ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना का पत्रांक-5460 दिनांक-29.03.2025 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation of Surya Mandir, Kachi Talab (Dewatering, Cleaning, Fountain, Seeting Area, Kota Stone and Paver Block in Kachi Talab) in Ward No.-16 के निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं निधि आवंटित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या-89, दिनांक-07.05.2025 द्वारा योजना की कुल राशि रु० 149.61800 (एक करोड़ उनचास हजार इकसठ हजार आठ सौ रु०) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल रु० 5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र आवंटित की गया है। राशि के व्ययोपरांत नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा योजना हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation of Surya Mandir, Kachi Talab (Dewatering, Cleaning, Fountain, Seeting Area, Kota Stone and Paver Block in Kachi Talab) in Ward No.-16 के निर्माण हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना की स्तम्भ-5 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध स्तम्भ-8 में अंकित अवशेष राशि रु० 60.00 लाख (साठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत निम्नवत प्रदान दी जाती है :-

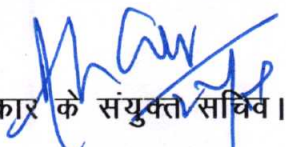
(राशि लाख में)								
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश संख्या / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, पटना	Renovation of Surya Mandir, Kachi Talab (Dewatering, Cleaning, Fountain, Seeting Area, Kota Stone and Paver Block in Kachi Talab) in Ward No.-16	89/ 07.05.2025	149.61800	148.36060	5.00	60.00	83.36060

3. उक्त स्वीकृत राशि रु० 60.00 लाख (साठ लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 236, दिनांक- 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं

आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता सं०-PTCPLA021 तथा HOA- 00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि रू० 60.00 लाख (साठ लाख रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217011910109, विषय शीर्ष-0109.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
5. बिहार कोषागार सहित के नियम-286 के आलोक में यथा B.T.C फॉर्म सं०-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ वही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/ना०सु०-12-27/2026 के पृष्ठ सं०-10/टि० पर दिनांक-19.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-14/टि० पर दिनांक-10.09.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के संयुक्त सचिव।